नवभारत
इंदौर, बुधवार, 21 जनवरी, 2026

विशेष जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित 56 आवेदन प्राप्त हुए

आमजन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर द्वारा तहसील स्तरीय विशेष जनसुनवाई आज से प्रारम्भ

झाबुआ, 20 जनवरी 2026। **आमजन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर नेहा मीना द्वारा पुनः से तहसील स्तरीय विशेष जनसुनवाई प्रारम्भ की गई। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा मंगलवार को तहसील थांदला में प्रातः 11 बजे से विशेष जनसुनवाई आयोजित की गई। इस विशेष जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 56 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर कलेक्टर द्वारा संवेदनशीलता के साथ सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए।**

जनसुनवाई के दौरान पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय थांदला (झाबुआ-2) के समीप नगर परिषद थांदला द्वारा स्थापित ट्रेंचिंग/डंपिंग ग्राउंड के कारण विद्यार्थियों को हो रही गंभीर समस्याओं के संबंध में पालकगण द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदकों ने बताया कि डंपिंग ग्राउंड से उत्पन्न दुर्गंध एवं अस्वच्छता का बच्चों के स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, शैक्षणिक प्रदर्शन एवं दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस पर कलेक्टर ने सीएमओ नगर परिषद को निर्देशित किया कि ट्रेंचिंग/डंपिंग ग्राउंड को शीघ्र हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

आवेदक गोपाल पिता रमेश, ग्राम खजुरी तहसील थांदला द्वारा उनके पुत्र राज गोपाल द्वारा राष्ट्रीय मेरिट कम मीन (एनएमएमएस) परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि छात्रवृत्ति लंबित रहने के कारणों की जांच कर समाधान सहित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

तहसील थांदला में कलेक्टर द्वारा विशेष जनसुनवाई आयोजित

श्री अर्जुनसिंह पिता भूरा पारगी, निवासी थांदला द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। इधर, जिला मुख्यालय पर अपर कलेक्टर श्री सी.एस. सोलंकी द्वारा आयोजित जनसुनवाई में कुल 32 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्रसिंह चौहान, सहायक कलेक्टर श्री आशीष कुमार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला श्री महेश मंडलोई सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

इसी क्रम में श्री बलु पिता पिदिया डामोर, गोरिया खांदन तहसील थांदला द्वारा प्राथमिक शाला एवं आंगनवाड़ी भवन के समीप स्थित हैंडपंप के खराब होने पर मरम्मत कराए जाने हेतु आवेदन दिया गया। श्री दिवान पिता बाबु अमलियार, निवासी बोरडी तहसील थांदला द्वारा शौचालय प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

ग्राम पंचायत उदयपुरिया तहसील थांदला के ग्रामवासियों द्वारा सिब्बल फलिये में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत कर प्रारंभ कराए जाने हेतु आवेदन दिया गया। वहीं श्री दिलीप माईडा, निवासी छोटी धामनी द्वारा परंपरागत रास्ते पर अतिक्रमण कर विवाद उत्पन्न किए जाने के संबंध में अतिक्रमण हटाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त सरपंच ग्राम पंचायत भैरूगढ़ द्वारा भाभर फलिये एवं नई बस्ती में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु नवीन हैंडपंप खनन कराए जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

एक नजर में

घायल बच्चों से मिलने रात्रि में जिला अस्पताल पहुँचीं कलेक्टर

झाबुआ, 19 जनवरी 2026। झाबुआ मेले में हुई अनपेक्षित घटना में घायल हुए बच्चों का हालचाल जानने कलेक्टर नेहा मीना रात्रि में पुनः जिला चिकित्सालय पहुँचीं। इस दौरान उन्होंने उपचाररत बच्चों की कुशलक्षेम जानी तथा उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी उपस्थित चिकित्सकों से प्राप्त की। बच्चों के स्वास्थ्य में हो रहे निरंतर सुधार को देखते हुए कलेक्टर ने उनसे आत्मीय संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया तथा उपस्थित माता-पिता को संबल प्रदान किया। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देशित किया कि बच्चों के स्वास्थ्य पर सतत निगरानी रखी जाए एवं आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएँ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएँ। इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने बच्चों के परिजनों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उनके रुकने हेतु रैन-बसेरे की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा भोजन की व्यवस्था कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को भी दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री सी एस सोलंकी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी एस बघेल एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया के प्रयासों से बामनिया पेटलावद क्षेत्र में रोड ओवर ब्रिज निर्माण को मिली प्रशासनिक स्वीकृति

झाबुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया के प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत बामनिया पेटलावद क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण निर्माण कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा झाबुआ जिले के रतलाम-बामनिया बायपास राजमार्ग पर दाहोद-रतलाम सेक्शन के लेवल क्रॉसिंग क्रमांक 72 कि.मी. 609/10-12 पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 21.59 करोड़ रुपये है। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ विकास हो। यह रोड ओवर ब्रिज न केवल आवागमन को सुरक्षित बनाएगा, बल्कि व्यापार, कृषि एवं औद्योगिक गतिविधियों को भी गति देगा। ओवर ब्रिज के निर्माण से क्षेत्र की यातायात व्यवस्था सुगम होगी, रेल फाटक पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी तथा आम नागरिकों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी पेटलावद क्षेत्र के विकास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।

डॉ. अनुपम श्रीवास्तव को विद्वत सेवा सम्मान से नवाजा

महू. शहर के वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. अनुपम श्रीवास्तव का होम्योपैथी के साथ अन्य वैकल्पिक चिकित्सा सेवाओं के प्रचार-प्रसार एवं उनकी सेवाओं के लिए अभिनव कला समाज हॉल इंदौर में सम्मान किया गया. ये सम्मान डॉ. मनीषा चेलावत की संस्था श्री मातृत्व वैकल्पिक चिकित्सा द्वारा विद्वत सम्मान समारोह के तहत, सारा म्यूजिकल ग्रुप महू की आयोजक श्रीमती चंदा कुंडलवाल द्वारा आयोजित ओपी नैयर संगीत निशा में किया गया. उनका ये सम्मान आशीर्वाद दाता महामंडलेश्वर डॉ. राजकुमार अग्रवाल (ज्योतिषाचार्य), मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री दिलीप राजपाल (एडवोकेट) एवं विशेष अतिथि डॉ. पंकज विरमाल, सत्येंन वर्मा सत्येंन, जानकी लाली पटेरिया, सुभाष खरबड़ीकर, सीताराम लुहारिया की मौजूदगी में किया गया. यह जानकारी मीडिया प्रभारी कृष्ण भालसे ने दी. डॉ अनुपम होम्योपैथी क्षेत्र में एकमात्र पीएचडी चिकित्सक हैं, जो मनोरोग के साथ जटिल रोगों के लिए शहर में उच्चतम उपचार न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध करवा कर शहर को लाभान्वित कर रहे हैं. साथ ही सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं. वैकल्पिक चिकित्सा में योग विशारद एवं रेकी मास्टर डॉ. अनुपम रेकी, एक्यूप्रेशर, प्राणिक चिकित्सा, चिकित्सा आधारित ध्यान, मसाज, प्राकृतिक चिकित्सा, योगा एवं वास्तु चिकित्सा में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

ओपी नैयर संगीत निशा में कलाकारों ने समां बांधा

महू. सारा म्यूजिकल ग्रुप महू की आयोजक श्रीमती चंदा कुंडलवाल द्वारा आयोजित ओपी नैयर संगीत निशा आशीर्वाद दाता महामंडलेश्वर डॉ. राजकुमार अग्रवाल (ज्योतिषाचार्य), मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं समाजसेवी दिलीप राजपाल (एडवोकेट) एवं विशेष अतिथि डॉ. पंकज विरमाल, सत्येंन वर्मा सत्येंन, जानकी लाली पटेरिया, सुभाष खरबड़ीकर, सीताराम लुहारिया थे. यह जानकारी मीडिया प्रभारी कृष्ण भालसे ने दी. उन्होंने बताया कि ग्रुप के कलाकारों ने इस संगीत निशा में प्रख्यात संगीतकार ओपी नैयर के गीतों की शानदार प्रस्तुति से समां बांध दिया. कालाकारों की शानदार प्रस्तुतियों को उपस्थित श्रोताओं ने जमकर सराहा.

बालाजी स्ट्राइकर, मालवा यूनाइटेड व आदिवासी यूनाइटेड जीते

महू. राधे श्याम स्मृति जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के तीसरे दिन तीन शानदार मैच खेले गए. पहले मैच में बालाजी स्ट्राइकर ने वायएसडीए को, दूसरे मैच में मालवा यूनाइटेड ने जौहर आदिवासी क्लब इंदौर को तथा तीसरे मैच में आदिवासी यूनाइटेड इंदौर ने चिराग यूनाइटेड महू को पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया. स्पर्धा के आयोजक युवा मंच धार नाका के संरक्षक रामकिशोर शुक्ला ने बताया कि मैच के अतिथि उद्योगपति धक बहादुर राणा, पूर्व सैनिक रितेश संकत, प्रवीण स्वामी, अरुण यादव, गुलाब राजोरा, तपन सिंहल थे.

सीडीपीओ कट्ठीवाड़ा एवं उदयगढ़ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

आलीराजपुर। कलेक्टर नीतू माथुर द्वारा जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए सतत निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके बावजूद महिला एवं बाल विकास परियोजना कट्ठीवाड़ा के एवं उदयगढ़ के परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) द्वारा कार्यों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर सीडीपीओ कट्ठीवाड़ा श्री शैलेन्द्रसिंह डावर एवं सीडीपीओ उदयगढ़ श्री मुकेश भूरिया के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। लक्ष्य पूर्ति को लेकर बार-बार समीक्षा बैठकों में निर्देश दिए जाने के बावजूद संतोषजनक प्रगति नहीं होने के चलते कारण बताओ नोटिस जारी करने के बावजूद संबंधित अधिकारी द्वारा कार्यों में लापरवाही बरती जा रही।

जनसुनवाई में कलेक्टर ने आवेदन की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए

आलीराजपुर। **प्रति मंगलवार की तरह आज भी कलेक्टर कार्यालय के जनसुनवाई कक्ष में कलेक्टर नीतू माथुर की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन किया गया।**

इस जनसुनवाई में आवेदक रमेश पिता श्री भलजी मावी निवासी ग्राम बड़ा खुटाजा तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर ने पीएम आवास योजना के संबंध में आवेदन दिया जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे मकान का सर्वे होने के बावजुद भी मुझे आवास नहीं मिला है मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मे पक्का आवास बनाने में असमर्थ हूं मुझे शासन कि योजना अनुसार आवास स?वीकृत करवाया जाए। कलेक्टर श्रीमती माथुर ने उक्त आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए।

अधिकारियों से सख्ती से भुगतान करने के निर्देश दिए

एक अन्य आवेदक लस्सी पति पचिया बामनिया निवासी ग्राम सेजवाड़ा तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर ने आवेदन दिया कि मेरी निजी कृषि भूमि पर मासिक किरायेदारी पर मोबाईल टावर 2018 मे स्थापित किया गया था। जिसका किराया मुझे आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है उक्त किरायेदारी भूमि को मोबाइल टावर एजेंसी द्वारा प्रतिमास तीन हजार रुपये अदा करने का निर्धारित किया गया था। चूंकि मुझ प्रार्थी को आज दिनांक तक उक्त किराया भूमि कि राशि प्राप्त नहीं हुई। मेरी निजी भुमि के किराये का भुगतान करवाया जाए। उक्त आवेदन की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर माथुर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से दूरभाष पर संपर्क कर सख्ती से भुगतान करने के निर्देश दिए अन्यथा सम्बन्धित मोबाइल टावर एजेंसी पर कार्रवाई की जायगी। इसी तरह जमीनी विवाद, जमीनी कब्जा, वृद्धा पेंशन, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित, आर्थिक सहायता, लोन कि सब्सिडी नहीं देने आदि से संबंधित कुल 21 आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान समस्त विभाग अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने आलीराजपुर से तीन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर को पद से हटाने के निर्देश दिए

▶ **जिला स्तरीय मुस्कान सेतु कॉल सेंटर से मॉनिटरिंग के बावजूद लापरवाही पर कलेक्टर नीतू माथुर का कड़ा रुख**

आलीराजपुर। जिले में आंगनवाड़ियों के सुचारू संचालन को लेकर चलाए जा रहे मुस्कान सेतु अभियान के बावजूद लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर ने जिला मुख्यालय स्थित वार्ड क्रमांक 2 एवं वार्ड क्रमांक 3 मे स्थित तीन आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तीनों ही आंगनवाड़ियों में सुबह 11 बजे तक भी एक भी बच्चा उपस्थित नहीं पाया गया। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती माथुर ने बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर की जांच की जिसमें उपस्थिति बेहद कम पाई गई, साथ ही कार्यकर्ताओं की उपस्थित रजिस?टर, मेन्यु रजिस्टर एवं भोजन रजिस्टर की जांच में यह भी सामने आया कि बच्चों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार सुबह का नाश्ता, भोजन समूह द्वारा नहीं दिया जा रहा था। शासन द्वारा उपलब?ध कराई खेल सामग्री की उपलब्धता केन्द्रो पर नदारद मिली।

इस दौरान कलेक्टर माथुर द्वारा सख्ती से पूछताछ के दौरान सहायिकाओं द्वारा संतोषजनक जवाब नही देने पर गंभीर लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर नीतू माथुर ने तीनों आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को पद से पृथक करने के निर्देश दिए। आंगनवाड़ी में पदस्थ श्रीमती रेणुका गुप्ता, श्रीमती लक्ष्मी विश्वकर्मा, श्रीमती लीला डावर को पद से पृथक की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित सुपरवाइजर शहरी आलीराजपुर ऊषा भाबर की भी पद से पथृक करने के निर्देश संबधित अधिकारी को दिए। मेन?यु अनुसार भोजन एवं नाश?ता उपलब?ध नही करवाने पर वर्षा समूह को भी हटाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। कार्यो में लापरवाही बरतने एवं नियमित निरीक्षण नहीं करने पर संबंधित सुपरवाइजर शहरी आलीराजपुर ऊषा भाबर की भी पद से पथृक करने के निर्देश संबधित अधिकारी को दिए।

भ्रमण उपरांत कलेक?टर श्रीमती माथुर ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को पृथक से फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही स?वीकार नहीं की जाएगी। शासन की महत?वांक्षी योजना का जमीनी स?तर पर समूचित क्रियान?वयन होना चाहिए अन?यथा जिला अधिकारी एवं ब?लॉक स?तर के अधिकारी के विरूद्ध भी अनुशासनात?मक कार्यवाही प्रचलित की जाएगी।

संकल्प से समाधान अभियान अंतर्गत कलेक्टर ने किया ग्राम पंचायत नवापाड़ा कस्बा का निरीक्षण

झाबुआ, कलेक्टर नेहा मीना ने संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत विकासखंड थांदला की ग्राम पंचायत नवापाड़ा कस्बा का निरीक्षण किया। इस दौरान पंचायत स्तर पर गठित दल द्वारा अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। पंचायत सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अभियान के अंतर्गत कुल 28 आवेदन प्राप्त हुए हैं। समीक्षा के दौरान एक वर्ष पूर्व हुई मृत्यु का प्रमाण पत्र लंबित पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर जन्म एवं मृत्यु का संकलन व्यवस्थित एवं समयबद्ध रूप से किया जाए तथा नागरिकों को प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही जन्म-मृत्यु पंजी का भी अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि नवापाड़ा कस्बा ग्राम पंचायत में एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत मात्र 20 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ है। इस पर कलेक्टर ने शेष कृषकों का शीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि समस्त कृषक ई-विकास प्रणाली के माध्यम से खाद वितरण सहित अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। कलेक्टर ने दल प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे घर-घर जाकर आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अभियान के अंतर्गत उपलब्ध 106 सेवाओं एवं योजनाओं के लिए अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त किए जाएं।

एक नजर में ▶ **दस से अधिक कर्मचारी वाली शासकीय व अशासकीय कार्यालयों का पंजीयन पोर्टल पर अनिवार्य होगा**

कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायत अब हो सकेगी ऑनलाइन

झाबुआ, 20 जनवरी 2026। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग झाबुआ श्री आर एस बघेल के मार्गदर्शन में बेटी बचाओं बेटी पढाओं योजना अंतर्गत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में 20 जनवरी 2025 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें विभागों व संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को महिलाओं के लिए बनाये गये कानून के प्रति जागरूक करना, महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराना तथा शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करने सम्बंधित जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी कलेक्टर सुश्री वैशाली सोलंकी उपस्थित रही। कार्यक्रम में सहायक संचालक श्रीमती वर्षा चौहान द्वारा महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर नियमों एवं समिति के कार्यों व प्रकिया के बारे में बताया गया। महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं गरिमामय वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सभी शासकीय/अशासकीय कार्यालयों व संस्थानो जहा 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है वहा आंतरिक परिवार समिति का गठन करना अनिवार्य है एवं स्द्धद्ध क्ब्भ× पोर्टल पर पंजियन करना भी अनिवार्य है। कार्यालय में आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं होने की स्थिती में अधिनियम के तहत नियोक्ता पर 50000 कर जुर्माना लगाया जा सकता है।

प्रशिक्षण में बताया गया कि जहां 10 से कम कर्मचारी है वहां पदस्थ महिलाकर्मी अपनी शिकायत स्थानीय परिवार समिति के समक्ष रख सकती है। साथ ही महिलाकर्मी यौन उत्पीड़न से सम्बंधित शिकायत आनलाईन शी-बॉक्स पोर्टल के माध्यम से भी कर सकती है।

प्रशिक्षण में मुख्यतः शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बैंक, निजी संस्थान एवं अन्य विभागों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।